



कायदा की मंजूरी के लिए  
 प्रस्तावित कर के लिए  
 6/5/22 को प्रस्तावित

6/2

प्रस्तावित कर के लिए  
 प्रस्तावित कर के लिए  
 प्रस्तावित कर के लिए  
 प्रस्तावित कर के लिए

1. एक्स की जमाबन्दी संवत् 2011 ता 2014 के  
 खाता संख्या 145/140 की कुल फनन 0 हैक्रेयर  
 भूमि के सम्बन्ध में अन्तिम अस्थाई निधेयाला  
 वास्तु विवेदन किया है। प्रकरण में अप्राप्ति  
 संख्या 1 ता 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कोषुवाही  
 के आदेश है। लिहाजा माफी का प्राप्तिना  
 पत्र अन्तर्गत द्वारा 212 RTA स्वीकार  
 किया जाकर अस्थाई आदेश वरुद्ध माफी विरुद्ध  
 अप्राप्तिगण इस आशय का पारित किया जाता है  
 कि वे चक 1 एक्स की जमाबन्दी संवत् 2015  
 ता 2018 के खाता संख्या 161/145 की कुल  
 फनन 0 हैक्रेयर भूमि में से 3.51 है। (भूमि जो पूर्व  
 में माया देवी के नाम दल (वी) भूमि के पतमान  
 राजस्व रिकॉर्ड में तार्किकता वाद परिवर्तन न करे  
 एत न ही उक्त आशय का बेघान, इन्त या अन्य  
 किसी व्त्तरीके से हस्तान्तरण करे। अर्थात् मौका  
 व रिकॉर्ड की पंचास्थिति बनाए रखे। यदि उक्त  
 भूमि बँक के रहन है तो बँक में शशि जमा कराने  
 या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व राजस्थान  
 कृषि साख परिचालन (कठिनाई निवारण) अधिनियम  
 1974 की कोषुवाही पर उक्त स्वयंन आदेश  
 प्रभावी नहीं होगा। पत्रावली इस कदर फॉसल  
 सुधार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद  
 के साथ संलग्न है।



उपर्युक्त अधिकारी (राजस्थान)  
 श्री करणपुर